



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या 382 राँची, बुधवार 29 श्रावण 1936 (श०)  
20 अगस्त, 2014 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----

संकल्प

19 अगस्त, 2014

संख्या-5/आरोप-1-30/2014 का 8222-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अमित प्रकाश, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-676/03, गृह जिला- राँची), अनुमंडल पदाधिकारी, छत्तरपुर, पलामू के पद पर कार्यावधि में बी0पी0एल0 परिवारों के बीच खद्यान्न वितरण तथा अनुमंडल क्षेत्र के अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली की दुकानों के अनुश्रवण एवं निरीक्षण में लापरवाही एवं उदासीनात बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि संलग्न प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री प्रकाश के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री प्रकाश को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर

लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री प्रकाश द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री प्रकाश के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री लालचंद डाडेल, अपर समाहर्ता, विधि-व्यवस्था, पलामू को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**प्रमोद कुमार तिवारी,**

सरकार के उप सचिव।

-----